झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
पंचम-सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 15.03.2016 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	सर्वश्री बादल, बिरंची नारायण एवं श्री राधाकृष्ण किशोर स0वि0स0	केन्द्र सरकार के छठे वेतन आयोग की अनुसंशा के आलोक में झारखण्ड सरकार अपने सभी कर्मियों के सेवाशर्त्त, वेतन आदि का निर्धारण केन्द्र सरकार के छठे वेतन आयोग की अनुसंशा के अनुरूप करने हेतु संकल्प संख्या- 660/28.02.2009 के द्वारा सैधान्तिक सहमति दी गयी है। उक्त आयोग के अनुसंशा अनुरूप झारखण्ड के सभी कर्मियों का सेवाशर्त्त, वेतन आदि का निर्धारण कर दिया गया है, परन्तु आजतक झारखण्ड राज्य के योग्यताधारी चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के सेवाशर्त्त का निर्धारण केन्द्र सरकार के अनुरूप नहीं किया गया है। इस कारण इन चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के प्रोन्नति का मामला वर्षो से लम्बित है। सरकार की इस उदासीनता के कारण ये चतुर्थवर्गीय कर्मचारी वर्षो से एक ही पद पर निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे है। कुछ चतुर्थवर्गीय कर्मचारी अपनी प्रोन्नति की आशा में या तो सेवानिवृत हो गये या सेवानिवृत होने के कगार पर है। इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण बात पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ कि इन चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के सेवाशर्त्त के निर्धारण हेतु तत्कालीन वित्त सचिव राजबाला वर्मा द्वारा आदेश भी दिया गया था साथ ही झारखण्ड राज्य राजस्व पर्षद द्वारा भी प्रोन्नति का अनुमोदन भी कर दिया गया था।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

01.	02.	03.	04.
		अतः जिस तरह केन्द्र सरकार द्वारा अपने योग्यताधारी चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को लिपिकीय सम्वर्ग में उत्तक्रमित कर दिया है उसी के अनुरूप झारखण्ड राज्य के योग्यताधारी चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को लिपिकीय सम्वर्ग में उत्तक्रमित करने एवम् आज तक इनके प्रोन्नति में बने बाधक अधिकारियों पर कार्रवाई करने हेतु सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ताकि इन निचले पायदान पर नियुक्त कर्मचारियों को न्याय मिल सके।	
02-	श्री प्रकाश राम एवं श्री अरूप चटर्जी स0वि0स0	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विश्व बैंक परियोजना अन्तर्गत 1996 में संविदा पर नियुक्त व्यख्याताओं को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित चतुर्थ वेतनमान (2200-4000) के अनुसार भुगतान किया जा रहा है। इनके नियुक्ति पत्र में पदनुरूप अनुमान्य मूल वेतन के प्रारंभिक स्तर पर वेतनमान एवं सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महँगाई भत्ता देय होने की शर्त्त रखी गई है। वर्त्तमान में षष्ठम वेतन आयोग के अनुसार इन व्यख्याताओं को 2200-4000 के प्रतिस्थानी वेतनमान के रूप में 15600-39100 देय है। पूर्व में 2008 में सरकार द्वारा चतुर्थ वेतनमान पर मँहगाई भत्ते में बढ़ोतरी रोके जाने के फलस्वरूप इन्हें 10,980 रू0 प्रतिमाह के दर से भुगतान किया जा रहा है। जबकि एक ही विभाग में संविदा पर ही नियुक्त अन्य व्यख्याताओं को पंचम वेतनमान का लाभ देते हुए वर्त्तमान में षष्ठम वेतनमान के अनुसार 40,000/- से ज्यादा का भुगतान किया जा रहा है। अतः इस परिस्थिति में इनके समक्ष न सिर्फ गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है बल्कि इनके मान-सम्मान पर भी आघात पहुँचा है। अतः उपरोक्त विषयक सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा
03-	सर्वश्री कुणाल षड़ंगी, नलिन सोरेन एवं श्री दशरथ गागराई स0वि0स0	बहरागोड़ा विधान सभा क्षेत्र एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ पर धान की खेती किसानों का मुख्य पैदावार है। वर्ष 2015-16 में सरकार के निर्णय के अनुसार "धान खरीद केन्द्र" खोलकर उचित मुल्य 14.10 (चौदह रू0 और दस पैसा) प्रति किलोग्राम के दर से किसानों से धान खरीदना था। परन्तु मिल मालिकों और विचौलीयों को मिलीभगत से बहरागोड़ा के किसानों से खतियान लेकर ओड़िसा-बंगाल से धान लाकर मिलों को बेचा जा रहा है। किसानों को खतियान के नाम पर 500 से 700 रू0 प्रति एकड़ दिया जा रहा है। धान खरीद केन्द्र नहीं होने के कारण	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता

कृ0पृ030

		किसान अपना धान मिलों को बेचने पर मजबूर है। मिल मालिकों ने किसानों को उचित मूल्य से कम पैसा दे रहे है। इसका विरोध अगर कोई किसान करता है तो उसका धान नही खरीदा जा रहा है। अतः जल्द से जल्द जाँच कर दोषी मिल मालिकों तथा सरकारी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ।	
04-	सर्वश्री योगेश्वर महतो, डॉ0 जीतू चरण राम एवं श्री नागेन्द्र महतो स0वि0स0	राँची स्थित एच0ई0सी0 परिसर में उच्च न्यायालय, माननीय विधायक और मंत्री को विधिवत आवास आवंटित किये गये है। विगत 15 वर्षो में इन आवासों की मरम्मति में 100 करोड़ से ज्यादा प्रतिवर्ष व्यय किये गये है। विधान सभा का नये भवन का कार्य आरम्भ हो चुका है जिसके परिसर में विधायक, मंत्री एवं राज्य सरकार के पदाधिकारी सहित विधान सभा के कर्मियों के लिए आवास निर्माण का भी प्रावधान है। अब एच0ई0सी0 परिसर स्थित इन आवासीय भवनों की मरम्मति पर व्यय किया जाना निरर्थक है। एच0ई0सी0 ने इसी परिसर में अपने कर्मियों को तीस वर्षो की लीज पर आवास एकमुश्त राशि लेकर दे दिया है। सरकार द्वारा भी अपने आवंटियों को एच0ई0सी0 द्वारा निर्धारित दर पर लीज पर दिये जाने से प्रतिवर्ष मरम्मति के नाम पर होने वाले व्यय से बचा जा सकता है तथा ऐसे लीजधारकों को नये परिसर में आवास भी नहीं देना पड़ेगा। विदित हो कि सरकार ने एच0ई0सी0 को इन सरकारी आवासों के बदले पूरी राशि का भुगतान कर दिया है। अतः मैं एच0ई0सी0 परिसर में सरकारी आवास में रह रहे मंत्री, विधायकों और सरकारी कर्मियों को उनके आवासों को समुचित दर निर्धारित कर लीज पर आवंटित करने की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	भवन निर्माण

राँची,
दिनांक- 15 मार्च, 2016 ई0।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2016-2214/वि0 स0, राँची, दिनांक- 14/3/16

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/ उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग एवं भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नीलेश रंजन
14/03/16
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2016-2214/वि0 स0, राँची, दिनांक- 14/3/16

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्ष महोदय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
14/03/16
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष